

कार्यालय बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी जिला-बीजापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक /122/खे.अ./स्था0/अंश./प्रशि./नियुक्ति/2017-18 बीजापुर, दिनांक 21.11.2017

// विज्ञप्ति //

Walk In Interview

कार्यालय, बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी जिला बीजापुर छ.ग. क्रीड़ा के क्षेत्र में विकास हेतु जिला स्तर पर अंशकालिक अतिथि क्रीड़ा प्रशिक्षकों नियुक्ति Walk In Interview विज्ञापन दिनांक 21/11/2017 को प्रातः 11:00 बजे के पूर्व कलेक्टर परिसर बीजापुर जिला बीजापुर के सभा कक्ष क्रमांक 01 में आयोजित किया जावेगा। इच्छुक एवं पात्र अर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित एवं वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हो सकते हैं:-
आवेदित पद - अंशकालिक अतिथि क्रीड़ा प्रशिक्षक

क्र.	क्रीडा क्षेत्र	कोच	योग
1.	लॉन टेनिस	01	01
2	बॉस्केटबॉल	01	01
3	हॉलीवॉल	01	01
कुल योग:-		03	03

टीप:- विज्ञापन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश जिले की वेबसाईट WWW.Bijapur.gov.in में उपलब्ध है।


कलेक्टर

जिला बीजापुर

पृ.क्रमांक /122/खे.अ./स्था0/अंश./प्रशि./नियुक्ति/2017-18 बीजापुर, दिनांक 21.11.2017
प्रतिलिपि:-

01. मुख्य, कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर को सूचनार्थ ।
02. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर को सूचनार्थ ।
03. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग बीजापुर को सूचनार्थ ।
04. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला बीजापुर को सूचनार्थ । कृपया जिले के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
05. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला कार्यालय बीजापुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।


कलेक्टर

जिला बीजापुर

विभागीय नियम व शर्तें

पात्रता की शर्तें:-

1. अंशकालिक क्रीडा प्रशिक्षक की नियुक्ति 07 दिनों से कम एवं 200 दिनों से अधिक के लिए नहीं होगा तथा इस नियुक्तियों की सूचना एवं लिखित स्पष्ट कारणों के बिना निरस्त करने का अधिकार जिला कलेक्टर महोदय को होगा। यह नियुक्ति एक बार में अधिकतम 89 दिवस हेतु की जा सकेगी। दीर्घ अवकाश पर होने के उपरांत तत्काल नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। आवश्यकता होने पर एक दिवस अंतराल पश्चात् पुनः 89 दिनों हेतु नियुक्ति की जा सकेगी। किन्तु ऐसे नियुक्तियों केवल 01 सत्र हेतु की जा सकेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
2. आवेदक की योग्यता NIS होना चाहिए साथ ही सम्बंधित खेल में राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र की उपलब्धता आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी बीजापुर जिले के वेबसाईड www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।
4. आवेदक को भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6. आवेदक द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. कोच बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे।
8. आयु सीमा:-
आयु दिनांक 01.01.2017 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/ 2015/ 3/ उफ दिनांक 17.12.2015 द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2016 हेतु दी गई 05 वर्ष छूट मिलाकर अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।
(अ.) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी किन्तु किसी भी दशा में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(ब) अभ्यर्थी के आयु की गणना विज्ञापन में उल्लेखित तिथि द्वारा ही किया जावेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु छूट संबंधी किसी प्रकार की पात्रता हासिल करता है तो उसे आयु की गणना हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।
9. भर्ती का तारीका:- (Walk in interview) मौखिक साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।
10. कोच के पद पर नियमानुसार उम्मीदवार योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा।
11. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार खेल विकास समिति का होगा।
12. चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सहित दिनांक11.2017 को प्रातः 10:30 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. आवेदन पत्र जमा करने की विधि:— आवेदन पत्र वांछित प्रमाण पत्रों सहित दिनांक11. 2017 को स्वयं उपस्थित होकर पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित लिखा हुआ आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें, आवेदित पद एवं क्रीडा नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद होने की स्थिति में जिला कलेक्टर महोदय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।


कलेक्टर
जिला बीजापुर